कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0–8544412079
हाजीपुर, वैशाली–844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

कार्यालय–आदेश

सहयोग पोर्टल पर दर्ज शिकायत संख्या REF647785 के माध्यम से श्री रंजीत कुमार भारती, विशिष्ट शिक्षक, जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय हरिप्रसाद मुर्तुजापुर, जंदाहा के विरुद्ध गंभीर शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत में संलग्न साक्ष्य एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,योजना एवं लेखा वैशाली के पत्रांक 132 दिनांक 20.07.2026 के द्वारा उपलब्ध कराया गया जांच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत आदतन विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक एवं कर्मी तथा छात्र/छात्राओं के साथ अशोभनीय व्यवहार करने, गाली गलौज करने, धमकी देने, महिला शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करने, विद्यालय का शैक्षणिक एवं प्रशासनिक माहौल खराब करने, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने, शैक्षणिक वातावरण को दूषित करने का आरोप प्रथम दृष्टया श्री भारती के विरुद्ध परिलक्षित प्रतीत हो रहा है।

उक्त के आलोक में श्री रंजीत कुमार भारती, विशिष्ट शिक्षक, जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय हरिप्रसाद मुर्तुजापुर, जंदाहा, वैशाली को आदतन विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक एवं कर्मी तथा छात्र/छात्राओं के साथ अशोभनीय व्यवहार करने, गाली गलौज करने, धमकी देने, महिला शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार करने, विद्यालय का शैक्षणिक एवं प्रशासनिक माहौल खराब करने, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने, शैक्षणिक वातावरण को दूषित करने एवं घोर अनुशासनहीनता के आरोप में 'बिहार विशिष्ट शिक्षक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त), 2023 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित)' के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

श्री रंजीत कुमार भारती के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्रवाई के सफल संचालन हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा,वैशाली को जॉच पदाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, जंदाहा को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता हैं।

श्री रंजीत कुमार भारती का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गोरौल, वैशाली निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान निर्धारित निलंबन के मुख्यालय से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर किया जायेगा।

01.8.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली
01/8/26

ज्ञापांकः–1641 हाजीपुर दिनांकः–01/08/26

प्रतिलिपिः–वरीय कोषागार पदाधिकारी, हाजीपुर/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/ संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/ संबंधित शिक्षक एवं संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

01.8.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली
01/8/26